भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †1813

उत्तर देने की तारीख- 05/12/2024

जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाएं

†1813. श्री मियां अल्ताफ अहमद:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर के अनुसूचित जनजाति समुदाय के विकास के लिए जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) कार्यान्वित योजनाओं के नाम क्या हैं और उनके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की क्या स्थिति है; और

(ग) जम्मू और कश्मीर के जनजातीय क्षेत्रों में निर्मित सड़कों और अस्पतालों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग): सरकार देश में अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्यनीति के रूप में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) को क्रियान्वित कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के अंतर्गत जनजातीय विकास के लिए प्रत्येक वर्ष अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत आबंटित कर रहे हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान मंत्रालयों/विभागों द्वारा जम्मू और कश्मीर को डीएपीएसटी के अंतर्गत जारी निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
निर्मुक्त निधि (करोड़ रुपए में)	617.04	319.06	541.48	765.57	1106.11

स्रोत: एसटीसी एमआईएस पोर्टल (https://stcmis.gov.in/) (02/12/2024, पूर्वाह्न 11:00 तक)

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के नाम **अनुलग्नक** में दिए गए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय की अधिकांश योजनाएं मांग आधारित हैं और मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन के बाद उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्य सरकारों को निधियां प्रदान की जाती हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को क्रियान्वित कर रहा है। पीएमजीएसवाई एक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है और इस योजना का उद्देश्य लक्षित बस्तियों की पूरी आबादी की पहुंच संबंधी जरूरतों को पूरा करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना है। इसकी शुरुआत से लेकर 02 दिसंबर 2024 तक, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर को पीएमजीएसवाई के सभी उपायों/कार्यक्षेत्रों के तहत 14,810 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के मूल्य (कीमत) पर 20,801 किलोमीटर लंबाई की 3,437 सड़कें और 305 पुल स्वीकृत किए गए हैं, जिसके सापेक्ष 12,610 करोड़ रुपये (संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से सहित) की लागत से 19,324.72 किलोमीटर लंबाई की 3,214 सड़कों और 217 पुलों का निर्माण किया गया है।

इसके अलावा, भारत की स्वास्थ्य गतिशीलता (बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन) 2022-23 के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक, जम्मू और कश्मीर के जनजातीय क्षेत्रों में 198 उप केंद्र, 65 पीएचसी और 3 सीएचसी क्रियाशील हैं।

अनुलग्नक

"जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाएं" के संबंध में श्री मियां अल्ताफ अहमद द्वारा दिनांक 5.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1813 के भाग (क) से (ग) के उत्तर के संबंध में संदर्भित अनुलग्नक

मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों के नाम

क्र.सं.	**योजना/कार्यक्रम का नाम**
1.	धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान
2.	प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन)
3.	प्रधानमंत्री जन जातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)
4.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)
5.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान
6.	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान
7.	अजजा छात्रों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
8.	अजजा छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
9.	अजजा उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति
10.	अजजा छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति
11.	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता
12.	जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम
13.	अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि

*****